INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD)
© 2026 IJNRD | Volume 11, Issue 4, April 2026 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

शोध शीर्षक: मुगलकालीन उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति: एक ऐतिहासिक विश्लेषण

लेखक: SUNNY PAWADIA (NET)

संस्थान: DEPARTMENT OF HISTORY, CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY MEERUT U.P.

1. सारांश (Abstract)

मुगलकाल (1526-1857) भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम एवं जटिल दौर था जिसने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को गहरे तक प्रभावित किया। वर्तमान उत्तर प्रदेश, जो उस समय आगरा और अवध के सूबों के रूप में मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल था, इस प्रभाव का मुख्य केंद्र रहा। इस शोध पत्र का उद्देश्य मुगलकालीन उत्तर प्रदेश में महिलाओं की त्रिआयामी स्थिति – सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक – का विस्तृत विवेचन करना है। मध्यकालीन समाज पितृसत्तात्मक था, जहाँ महिलाओं की स्थिति वर्ग, धर्म और पारिवारिक प्रतिष्ठा के आधार पर भिन्न-भिन्न थी।

बीज शब्द (Keywords): मुगलकाल, उत्तर प्रदेश, पर्दा प्रथा, शाही हरम, आर्थिक स्थिति, स्थापत्य।

---

2. प्रस्तावना (Introduction)

मुगलकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन इतिहास के एक महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश, जो मुगलों की सत्ता का केंद्र था, वहाँ के सामाजिक ताने-बाने में महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह शोध पत्र ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर महिलाओं की स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

---

3. सामाजिक स्थिति : परंपरा और बंदिशें

मुगलकालीन उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सामाजिक जीवन मुख्य रूप से 'पर्दा' और 'हरम' की अवधारणाओं के इर्द-गिर्द घूमता था।

(i) पर्दा प्रथा और कुलीनता: आगरा और फतेहपुर सीकरी जैसे शहरों में पर्दा प्रथा कुलीनता का प्रतीक बन गई थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की उच्चवर्गीय महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर निकलना वर्जित था। (संदर्भ: पी.एन. ओझा – सम आस्पेक्ट्स ऑफ दी मॉडर्न इंडियन सोशल लाइफ, पटना)। मुस्लिम वर्ग में जो महिलाएँ निर्धन तथा चरित्रहीन होती थीं, वही बिना पर्दे के घर से बाहर निकलती थीं। "पिटरो डेला वेला" के अनुसार पर्दा भंग होना अपराध माना जाता था। शाही परिवारों के जैसे ही उच्च वर्गीय हिन्दुओं नें भी महिलाओं के लिए ढ़की हुई पालकियों का उपयोग करना आरम्भ कर दिया था।

(ii) विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह: समाज में बाल विवाह का प्रचलन चरम पर था, जिसकी चर्चा 'आलमगीरनामा' में भी मिलती है। शरीयत में सुन्नी हेतु 4 विवाह तथा शिया हेतु 4 विवाह के अतिरिक्त 'मुता विवाह' (निश्चित समय का विवाह) का भी प्रावधान था। विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन केवल निम्न वर्गों तक ही सीमित था। अकबर ने बाल-विवाह रोकने हेतु आयु निर्धारण (लड़कियाँ 14 वर्ष, लड़के 16 वर्ष) का प्रयास किया और 'तुईबेगी' नामक अधिकारी की नियुक्ति की।

(अकबरनामा अनु. डॉ. मथुरालाल शर्मा, पृ. 278, राधा पब्लिकेशन 2007 नई दिल्ली)

(iii) शिक्षा: शिक्षा केवल उच्च तथा सम्पन्न परिवारों तक ही सीमित थी। उच्च परिवारों की महिलाएँ फारसी, अरबी तथा संस्कृत के साथ संगीत तथा चित्रकला में भी निपुण थीं। उदाहरण - गुलबदन बेगम, जहाँआरा बेगम, मीराबाई इत्यादि।

---

4. राजनीतिक स्थिति: पर्दे के पीछे की सत्ता

यद्यपि मुगल प्रशासन में महिलाओं को कोई आधिकारिक पद प्राप्त नहीं थे, फिर भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में उनका प्रभाव अत्यधिक गहरा था।

i. **शाही हरम का प्रभाव:** आगरा के लाल किले में स्थित हरम केवल विलासिता का केंद्र नहीं था, बल्कि राजनीति का 'पावर हाउस' तथा प्रशासनिक एवं कूटनीतिक रूप से एक 'लघु दरबार' के रूप में सक्रिय था। प्रारम्भिक काल में माहम अनगा जैसी महिलाओं ने 'पेटीकोट शासन' (1560-64) के दौरान निर्णय करने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

(अकबरनामा भाग-2, पृ. 145, अनु. मथुरालाल शर्मा, राधा पब्लिकेशन 2007 नई दिल्ली)।

अबुल फजल ने "अकबरनामा" और "आइन-ए-अकबरी" में हरम को केवल रानियों के रहने की जगह नहीं, बल्कि "पर्दा-ए-इश्मत" (शुद्धता का पर्दा) और राज्य का एक सम्मानित अंग बताया है। शाही हरम की कुछ महत्वपूर्ण महिलाओँ जैसे मरियम-उज-जमानी और हमीदा बनो के पास अपने मुहर होते थे और वे इनका उपयोग राजकीय फरमान जारी करने के लिए किया करती थी। अबुल फजल के अनुसार हरम के अंदर अलग-अलग गुट हुआ करता थे और ये गुट अपनी पसंद के शहजादे को गद्दी पर बिठाने के लिए पैरवी किया करते थे। अबुल फजल यह भी कहता है कि शाही हरम में शांति बनाए रखना साम्राज्य की शांति के लिए आवश्यक था, यदि ऐसा नहीं किया जा सका तो यह स्थान अंदरूनी कलह का स्थान बनाया जा सकता था, जो साम्राज्य में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर सकता था।

(ii) कूटनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप: नूरजहाँ का शासनकाल (1611-1627) अद्वितीय है। उन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। अंतिम वर्षों में रानी लक्ष्मीबाई तथा बेगम

हजरत महल (अवध) का शासन भी इतिहास में अद्वितीय रहा है।

नोट: शासन तथा प्रशासन में केवल उच्च वर्गीय महिलाओं की भागीदारी देखी जा सकती है। यह अधिकार निम्न वर्ग की महिलाओं को प्राप्त नहीं थी, क्योंकि शासन शक्ति के आधार पर होता था।

5. आर्थिक स्थिति

(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में कृषि कार्य का मुख्य आधार महिलाएँ थीं। वे बुआई, कटाई और हस्तशिल्प (जरी, जरदोजी) में प्रमुख भूमिका निभाती थीं।

नोट: ये सभी कार्य केवल निम्न वर्ग की महिलाओं द्वारा सम्पन्न किए जाते थे।

उच्च वर्गीय महिलाओं जैसे नूरजहाँ तथा जहाँआरा को जागीरें प्राप्त थीं तथा स्वयं के जहाज भी प्राप्त थे। ये जहाज सूरत से लाल सागर तक व्यापार किया करते थे।

(ii) सम्पत्ति के अधिकार: हिन्दू स्त्रियों की तुलना में मुस्लिम महिलाओं की दशा उत्तम थी। इन्हें पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त था। हिन्दू स्त्रियों की दशा विधवा होने की स्थिति में अत्यंत दयनीय थी। मानुची के अनुसार विधवा यदि सती नहीं होती है तो उसे सम्पत्ति से वंचित कर दिया जाता था।

6. धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव

उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने भक्ति और सूफी आंदोलनों से सामाजिक बंधनों को चुनौती दी। मीराबाई और जहाँआरा बेगम (मुनिस-अल-अरवाह) इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 'इकबालनामा-ए-जहाँगीरी' के अनुसार उच्च वर्ग की महिलाओं को धर्म की शिक्षा और सूफी संतों के सम्मान का पूरा अधिकार था।

7. चुनौतियाँ और कुरीतियाँ

सकारात्मक पहलुओं के बावजूद, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और विधवाओं का बहिष्कार गंभीर समस्याएँ थीं। मानुची के अनुसार, बार-बार कन्या को जन्म देने वाली स्त्री से घृणा की जाती थी और उसे तलाक तक दे दिया जाता था। सकारात्मक पहलुओं के बावजूद, समाज के एक बड़े वर्ग में महिलाओं का शोषण जारी था। सती प्रथा, पर्दा प्रथा (जो हिन्दू और मुस्लिमों में), विधवाओं का सामाजिक बहिष्कार उत्तर प्रदेश के मुगलकालीन समाज की एक गंभीर समस्याएँ थीं। अकबर और अन्य शासकों ने इन प्रथाओं पर रोक लगाने का प्रयास तो किया परन्तु धर्म तथा सामाजिक दबाव के कारण ये प्रथाएँ पूर्णतः समाप्त नहीं की जा सकी थीं।

इस काल में कन्या को जन्म देना भी पाप माना जाता था। मानुची के अनुसार जो स्त्री बार-बार कन्या को जन्म देती थी उससे घृणा के साथ-साथ तलाक भी दे दिया जाता था। अल्तेकर के अनुसार हिन्दुओं में तलाक मान्य नहीं था।

8. मुगल स्थापत्य में महिलाओं का योगदान

- **एत्माद-उद-दौला का मकबरा, आगरा:** नूरजहाँ

- **आगरा की जामा मस्जिद:** जहाँआरा बेगम
- **आगरा की मरियम की कोठी:** जोधा बाई
- **फैजाबाद का मोती महल (1743):** शुजा-उद-दौला की पत्नी
- *नोट: इस काल की स्थापत्य कला में केवल उच्च वर्गीय महिलाओं का ही योगदान रहा था।*

---

9. निष्कर्ष (Conclusion)

मुगलकालीन उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति 'विरोधाभास का युग' थी। जहाँ रीति-रिवाजों ने सामान्य महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित किया, वहीं आगरा और अवध के राजनीतिक गलियारों में उनकी उपस्थिति प्रभावशाली थी। उन्होंने न केवल उस काल की संस्कृति को आकार दिया, बल्कि आधुनिक भारत में नारी शक्ति की नींव भी रखी।

---

10. संदर्भ सूची (References)

- अनीस अफजल, "मुगलकालीन भारत में नारी", दिल्ली विश्वविद्यालय।
- ए. एस. अल्तेकर, "प्राचीन और मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति"।
- सतीश चंद्रा, "मध्यकालीन भारत: राजनीति से समाज तक"।
- "हुमायूँनामा" - गुलबदन बेगम।
- "अकबरनामा" - अनु. डॉ. मथुरालाल शर्मा, राधा पब्लिकेशन, 2007।
- A Begum and A Queen - रुद्रंगशु मुखर्जी।

Copyright & License:
© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.